

गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय पन्तनगर - 263145
जिला- ऊधम सिंह नगर, (उत्तराखण्ड)



कृषिवानिकी अनुसंधान केन्द्र
पन्तनगर (उत्तराखण्ड)

ए0एफं0आर0सी0 / 420

दिनांक: 13 / 01 / 2021

पत्रांक:.....

दिनांक:.....

प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबसाइट
प्रभारी, एरिस सैल

गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर के कृषिवानिकी अनुसंधान केन्द्र पन्तनगर द्वारा वृक्षों की बिक्री के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु निम्नानुसार विज्ञापन विश्वविद्यालय वेबसाइट पर प्रसारित किया जाना है। जिसके लिए सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी है।

आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

संयुक्त निदेशक
Joint Director
कृषिवानिकी अनुसंधान केन्द्र
Joint Forests Research Centre
GBPUA&T, Pantnagar

गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर

पेंडों की बिक्री हेतु खुली बोली नीलामी की सूचना

गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर के कृषिवानिकी अनुसंधान केन्द्र पर उपलब्ध 30 यूकेलिप्टस एवं 01 सेमल प्रजाति के वृक्षों की खुली बोली नीलामी के माध्यम से दिनांक 29-01-2021 सांय 3 बजे होनी है, ठेकेदार/अधिकृत फर्म धनराशि रू0 दस हजार मात्र नकद/डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जो कि नियंत्रक गो0ब0पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर के नाम भारतीय स्टेट बैंक/पंजाब नैशनल बैंक/यूनियन बैंक /यूको बैंक की पन्तनगर की शाखा पर देय हो के माध्यम से भुगतान कर नीलामी में भाग ले सकते हैं।

खुली बोली नीलामी का पूर्ण विवरण एवं नीलामी की शर्तें उपरोक्त कार्यालय या विश्वविद्यालय की वेबसाइट (www.gbpuat.ac.in) में दिनांक 19-01-2021 से प्राप्त/देखा जा सकता है।

कृषिवानिकी अनुसंधान केन्द्र, पन्तनगर

जिला – ऊधम सिंह नगर, पिन– 263145

कटे वृक्षों की बिक्री की शर्तें एवं प्रतिबन्ध

1. कटे हुए वृक्षों की बिक्री में इच्छुक व्यक्ति/ठेकेदार दिनांक.....29.01.2021..... को कृषिवानिकी अनुसंधान केन्द्र, पन्तनगर पर रू0 10,000/- नकद जमा कर खुली बोली/नीलामी में भाग ले सकते हैं।
2. वृक्ष जैसा है जंहा है, के आधार पर लेना होगा तथा वृक्षों की गुणवत्ता का कोई उत्तरदायित्व कृषिवानिकी अनुसंधान केन्द्र का नहीं होगा। अतः बोलीदाता खुली बोली/नीलामी से पूर्व मौके पर वृक्षों का भली-भंति निरीक्षण स्वयं कर लें। नीलामी हो जाने के उपरान्त वृक्षों में किसी भी प्रकार का दोष पाये जाने की कोई शिकायत मान्य नहीं होगी।
3. उच्चतम बोलीदाता द्वारा जमा की गई धनराशि रू0 10,000/- को छोड़कर अन्य सभी बोलीदाताओं द्वारा जमा धनराशि नीलामी समाप्त होने के पश्चात् लौटा दी जायेगी।
4. उच्चतम बोलीदाता को उच्चतम बोली की समस्त धनराशि अपने स्वयं के खाते से बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक (जो कि नियंत्रक गो0ब0पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पन्तनगर के नाम भारतीय स्टेट बैंक/ पंजाब नैशनल बैंक /यूनियन बैंक/यूको बैंक पन्तनगर पर देय हो) के माध्यम से ही भुगतान करनी होगी। किसी अन्य के खाते से भुगतान की गई धनराशि मान्य नहीं होगी।
5. उच्चतम बोलीदाता को कुल धनराशि का 60 प्रतिशत अग्रिम के रूप में पत्र निर्गत होने के 15 दिनों के अन्दर अग्रिम भुगतान के रूप में (डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक) के द्वारा जमा करनी होगी। इस धनराशि में नीलामी में भाग लेने हेतु जमा धनराशि रू0 10,000/- को समायोजित नहीं किया जायेगा। यदि उच्चतम बोलीदाता 60 प्रतिशत धनराशि जमा करने में असफल रहता है, तो खुली बोली नीलामी में भाग लेने हेतु जमा धनराशि रू0 10,000/- को जब्त कर लिया जायेगा एवं ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
6. उच्चतम बोलीदाता को उच्चतम बोली राशि की 10 प्रतिशत धनराशि प्रतिभूति के रूप में पत्र निर्गत होने के 15 दिनों के अंदर में अलग से बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के द्वारा जमा करनी होगी, जो कि वृक्षों के उतान की समाप्ति पर नियमानुसार क्रेता को वापस कर दी जायेगी। यदि क्रेता 10 प्रतिशत सुरक्षा धनराशि निश्चित अवधि में जमा नहीं करता है, तो 20 प्रतिशत विलम्ब शुल्क के साथ जमा करना होगा।
7. शेष धनराशि 40 प्रतिशत माल की निकासी करने से पूर्व बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक द्वारा जमा करनी होगी अन्यथा माल की निकासी की अनुमति नहीं दी जायेगी। इस धनराशि में पूर्व में जमा रुपए 10,000/- को समायोजित कर लिया जाएगा।
8. सफल क्रेता को बिक्री स्वीकृत होने के 15 दिन में अपने खर्च पर रुपए 100/- के नॉनजुडिशियल स्टाम्प पेपर पर विश्वविद्यालय के साथ लिखित अनुबन्ध करना अनिवार्य होगा।
9. वृक्षों के विक्रय मूल्य पर निर्धारित जी0एस0टी0, आयकर, स्टाम्प शुल्क, मण्डी शुल्क इत्यादि क्रेता को स्वयं अलग से सम्बन्धित विभाग में पूर्ण दर पर जमा करना होगा, तथा उक्त जमा शुल्क के चालान /रसीद समन्वित कृषिवानिकी अनुसंधान केन्द्र में मूल रूप से जमा करनी होगी। यदि क्रेता के द्वारा उक्त शुल्कों को कम या अधिक जमा किया जाता है अथवा विलम्ब से जमा किया जाता है तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व क्रेता का होगा तथा उक्त शुल्कों के जमा होने के पश्चात् ही माल निकासी की अनुमति दी जायेगी।
10. विश्वविद्यालय / कृषिवानिकी अनुसंधान केन्द्र के नियमित कर्मचारियों/अधिकारी उनके परिवार के सदस्य जैसे पत्नी, बेटा, बेटा अथवा बहू नीलामी में भाग नहीं लेंगे।

11. वृक्षों की निकासी से पूर्व क्रेता को प्रभागीय वनाधिकारी तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, हल्द्वानी से निकासी परमिट स्वयं लेना होगा तथा ट्रांजिट शुल्क या अन्य कोई शुल्क आदि की धनराशि क्रेता को स्वयं जमा करनी होगी।
12. क्रेता तथा उसके आदमियों द्वारा कार्य प्रारम्भ करने की तिथि से अन्तिम अवधि तक विश्वविद्यालय तथा केन्द्र की किसी सम्पत्ति का नुकसान पहुँचाने/असामाजिक कार्य करने एवं अन्य किसी भी प्रकार की गतिविधि में संलिप्त पाये जाने की दशा में सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी क्रेता की होगी।
13. खुली बोली नीलामी को बिना कारण बताये अस्वीकृत अथवा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार समिति में निहित है।
14. क्रेता द्वारा उपरोक्त शर्तों में से किसी भी एक शर्त का पालन न करने की दशा में वृक्षों की बिक्री रद्द की जा सकती है, तथा धरोहर / Performance-Guarantee हेतु जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
15. इस विक्रय के लिए अनुबन्ध के सम्बन्ध में किसी भी विवाद पर निर्णय के लिए कुलपति गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर सोल आर्विट्रैटर होंगे और उनका निर्णय अन्तिम होगा, जो दोनों पक्षों को मान्य होगा।
16. बिक्री स्वीकृति पत्र निर्गत होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर वृक्षों की ढुलाई आवश्यक होगी, अन्यथा प्रतिदिन की दर से ₹0 100.00 विलम्ब का शुल्क जमा करना होगा। विलम्ब शुल्क (एक माह तक) के पश्चात् बिक्री निरस्त कर धरोहर राशि जब्त किये जाने का अधिकार विश्वविद्यालय को होगा।
17. वृक्षों की माल निकासी वन विभाग द्वारा निकासी खुलने के 15 दिन के भीतर पूर्ण करनी होगी।
18. बिक्री की स्वीकृति के उपरान्त क्रेता को कटी हुई लकड़ी की देखभाल की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
19. प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केन्द्रीय प्रभाग, हल्द्वानी के आदेशानुसार क्रेता से एक वृक्ष के स्थान पर दो वृक्षों के वृक्षारोपण (छूट प्रजाति को छोड़कर) ₹0 100.00 प्रति वृक्ष के आधार पर प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केन्द्रीय के नाम पर निरूपित (राष्ट्रीय बचत-पत्र) उक्त कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा तथा इसकी सूचना लिखित रूप से साक्ष्य के साथ केन्द्र को देनी होगी।
20. क्रेता को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व अपना तथा अपने कर्मचारियों का परिचय-पत्र सुरक्षा अधिकारी कार्यालय से बनवाना होगा। ठेकेदार के किसी भी कर्मचारी को परिसर/फार्म में आवेष्टित गतिविधि में संलग्न होने के संशय पर परिसर में प्रवेश निषिद्ध कर दिया जायेगा।
21. क्रेता को नीलामी में भाग लेने से पूर्व पैन कार्ड /आधार कार्ड की छायाप्रति जमा करनी आवश्यक होगी।

संयुक्त निदेशक

Joint Director
K. S. Bhatnagar Research Centre
GBPUA&T, Pantnagar